[2018] 3 एससीआर 541

तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 वर्ष 2018)

13 अप्रैल, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम शांतानागौदर व नवीन सिन्हा, माननीय न्यायमूर्तिगण]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000:

विनियम 9 (IV) और (VII) [दिनांक 5-4-2018 के संशोधन के बाद - विनियम 9 (4) और (8)] - स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्यों को दी गई 50% सीटों के सापेक्ष सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने की राज्य की शक्ति - आगे यह कहते हुए कि दिनेश सिंह चौहान *मामले में पारित निर्णय (जिसमें धारा 9 विषय वस्तु थी) संविधान की छठी अनुसूची की सूची I, प्रविष्टि 66 और सूची III, प्रविष्टि 25 के तहत विधायी क्षमता के पहलू पर संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार किए बिना पारित किया गया था। निर्धारित: विधायी क्षमता का विषय न तो* दिनेश सिंह चौहान *मामले में उठाई गई थी और न ही विचार किया गया था - संविधान पीठ के फैसलों पर भी विचार नहीं किया गया था - इसलिए, याचिकाओं पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है - याचिकाओं को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए - भारत का संविधान - अनुच्छेद 32; अनुसूची VI सूची I, प्रविष्टि 66; सूची II, प्रविष्टि 25 - शिक्षा / शैक्षिक संस्थान।*

******उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम दिनेश सिंह चौहान* (**2016) 9 एससीसी 749: [2016] 6 एससीआर 571;**

आर चित्रलेखा और एक अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य **[1964] 6 एससीआर 368**; *कुमारी चित्रा घोष और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* **(1969) 2 एससीसी 228: [1970] 1 एससीआर 413;** *गुजरात विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य* **[1963] सपल 1 एससीआर 112** - संदर्भित।

वाद विधि संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 571	**संदर्भित**	**पैरा 5**
[1964] 6 एससीआर 368	**संदर्भित**	**पैरा 6**
[1970] 1 एससीआर 413	**संदर्भित**	**पैरा 61**
[1963] अनुपूरक 1 एससीआर 112	**संदर्भित**	**पैरा 11**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 वर्ष 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

रिट याचिका (सी) संख्या 252, 295 और 293 वर्ष 2018

मुकुल रोहतगी, अरविंद दातार, केवी विश्वनाथन, विकास सिंह, आर वेंकटरमणि, अजीत कुमार सिन्हा, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव, सुश्री समन अहसन, आयुष जैन, कुणाल वाजानी, अंकुर वेद तुली (सुश्री/के लिए)। खेतान एंड कंपनी), गौरव शर्मा, ढाल मोहन, अमनदीप कौर, प्रतीक भाटिया, अभिषेक, श्रेष्ठ बनर्जी, सुश्री मानसी शर्मा, जोस अब्राहम, एमपी श्रीविग्नेश, यशराज बुंदेला, श्रीनाथ एस, सारद कुमार सिंघानिया, डॉ नीलेश शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, केवी विजयकुमार, सुश्री मैत्रेय मिश्रा, केवी राम कुमार, जी प्रकाश, जिष्णु एमएल, श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वीएल, अधिवक्तागण। उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया

<u>आदेश</u>

1. नई रिट याचिकाओं में नोटिस जारी करें।

2. संबंधित राज्यों, भारत संघ और भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हों और संबंधित पक्षों के लिए नोटिस स्वीकार करें।

3. इन रिट याचिकाओं में, दिनांक 05.04.2018 के संशोधन के बाद विनियमन 9 ([V) और (VII), भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा तैयार किए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के विनियमन 9 (4) और (8) को चुनौती दी गई है।

4. एक व्यापक विचार प्राप्त करने के लिए, उप-विनियमन (8) तक प्रासंगिक सीमा तक विनियमन 9, निम्नानुसार पढ़ता है: -

“9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी: -

(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात् "राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा" होगी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत आयोजित की जाएगी।

(2) 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' आयोजित करने के लिए "नामित प्राधिकारी" राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित कोई अन्य निकाय/संगठन होगा।

(3) एक शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित 'स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' में 50 वें प्रतिशत पर न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में, न्यूनतम अंक 40 वें प्रतिशत पर होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों के संबंध में, न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए 45 वें प्रतिशत और एससी / एसटी / ओबीसी के लिए 40 वें प्रतिशत पर होंगे। पर्सेंटाइल का निर्धारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया

जाएगा। बशर्ते जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श से अपने विवेकानुसार संबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक क्या होंगे? केवल शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू है।

(4) संबंधित श्रेणियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं में सीटों का आरक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान कानूनों के अनुसार होगा। पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय मेरिट सूची के साथ-साथ राज्यवार मेरिट सूची राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को उक्त मेरिट सूचियों से ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

परन्तु सरकारी/लोक प्राधिकारी की सेवा रत अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करते समय सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूरस्थ और/या दुर्गम क्षेत्रों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% तक प्रोत्साहन के रूप में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक के प्रोत्साहन के रूप में अंकों को महत्व दिया जा सकता है। दूरस्थ और/या दुर्गम क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों को समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(5) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों द्वारा वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें भरी जाएंगी।

एक शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित 'स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' में 50 वें प्रतिशत पर न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में, न्यूनतम अंक 40 वें प्रतिशत पर होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों के संबंध में, न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए 45 वें प्रतिशत और एससी / एसटी / ओबीसी के लिए 40 वें प्रतिशत पर होंगे।

(6) कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त उप-खंड (3) में निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(7) गैर-सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं में कुल सीटों का 50% (पचास प्रतिशत) राज्य सरकार या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकरण द्वारा भरा जाएगा और शेष 50% (पचास प्रतिशत) सीटें संबंधित मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर भरी जाएंगी।

(8) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें सरकारी सेवा में चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने दूरस्थ और / या कठिन क्षेत्रों और / या ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा की है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिभाषित दूरस्थ और / या कठिन क्षेत्रों और / या ग्रामीण क्षेत्रों में दो और वर्षों तक सेवा करेंगे।"

5. यह *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम दिनेश सिंह चौहान* मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का विषय था, जिसे (2016) 9 एससीसी 749 में रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद विनियम 9 में कुछ मामूली संशोधन किए गए हैं। दिनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) में विनियम 9 (4) का प्रासंगिक विचार पैराग्राफ 24 से 27 पर है, जो निम्नानुसार है: -

"अब तक, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विनियमन 9 चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में एक स्व-निहित कोड है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य के पास कार्यकारी निर्देशों द्वारा किसी भी कानून को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है जो केंद्रीय कानून और उसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा प्रतिपादित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है, संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आने वाला विषय है (देखें प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2)। स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर केंद्रीय कानून और विनियम लागू होने चाहिए।

25. इस प्रकार, हमें पहले यह पता लगाना होगा कि क्या विनियमन 9, जैसा कि मामले पर लागू होता है, आमतौर पर स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए सीटों के आरक्षण की परिकल्पना करता है। विनियमन 9 एक समग्र प्रावधान है जो अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है - स्नातकोत्तर "डिग्री" के साथ-साथ स्नातकोत्तर "डिप्लोमा" पाठ्यक्रमों के लिए:

25.1. विनियम 9 के खंड (1) में अधिदेश दिया गया है कि नामित प्राधिकारी द्वारा एक ही राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (इसके बाद नीट के रूप में संदर्भित) आयोजित की जाएगी।

25.2. खंड (II) में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की तीन प्रतिशत सीटें निचले अंगों की चलने-फिरने में अक्षम अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है। हम इस प्रावधान से चिंतित नहीं हैं।

25.3. खंड (III) में किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता का प्रावधान है।

25.4. खंड (IV) संगत उपबंध है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कानूनों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस खंड के शुरुआती भाग में उल्लिखित आरक्षण, स्पष्ट रूप से, संवैधानिक योजना (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में है; और सेवारत अभ्यर्थियों या सेवा में चिकित्सा अधिकारियों के लिए नहीं। इसमें आगे कहा गया है कि पात्र अभ्यर्थियों की अखिल

भारतीय मेरिट सूची के साथ-साथ राज्यवार मेरिट सूची नीट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और संबंधित राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट सूची के अनुसार होगा। इस प्रकार, यह एक प्रावधान है जो राज्य में संबंधित चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश को सख्ती से अनिवार्य करता है। तथापि, इस प्रावधान में एक परंतुक शामिल है। इसमें कहा गया है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करते समय, राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% के लिए प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकों में महत्व दिया जा सकता है, जो नीट में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक है। भले ही यह प्रावधान उदारतापूर्वक पढ़ा जाए, लेकिन सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है, लेकिन केवल सेवारत अभ्यर्थियों के वर्ग (जिन्होंने राज्य में अधिसूचित दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में सेवा की है) को निर्दिष्ट प्रोत्साहन अंकों के रूप में महत्व देता है।

26. इस परंतुक की सरल भाषा से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसमें स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों के संबंध में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है, जिनके साथ हम वर्तमान में संबंधित हैं। यह प्रावधान राज्य में अधिसूचित दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में काम करने वाले "निर्दिष्ट सेवारत अभ्यर्थियों" को अंकों का महत्व देता है - दोनों स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों के साथ-साथ स्नातकोत्तर "डिप्लोमा" पाठ्यक्रमों के लिए भी। इसके अलावा, अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करते समय इस प्रकार आवंटित अंकों के महत्व की गणना की जानी आवश्यक है।

27. इस प्रकार समझा जाता है कि केंद्रीय अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए विनियम स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। चूंकि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में सेवारत अभ्यर्थियों को आरक्षण पर रोक लगाने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह के आरक्षण को प्रदान करना कानून में अनुचित नहीं है। इसके अलावा, इस न्यायालय के उदाहरण हैं जो यह सुझाव देते हैं कि सेवारत अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के एक अलग चैनल के रूप में ऐसी व्यवस्था की अनुमति है। यह तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले, सेवा में लगाए गए निर्णयों में प्रासंगिक समय पर लागू नियमों द्वारा शासित प्रवेश प्रक्रिया के बारे में प्रावधानों पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में प्रवेश प्रक्रिया उन विनियमों द्वारा शासित होती है जो शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 से लागू हुए हैं। यह विनियमन एक स्व-निहित कोड है। इस विनियम में दूर-दूर तक यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए एक अलग चैनल प्रदान किया जाना चाहिए, कम से कम स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों के संबंध में। तथापि, इसके विपरीत, सेवारत अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 50% सीटें निर्धारित की गई हैं, जैसा कि खंड (VII) से स्पष्ट है। यदि विनियमन स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों के संबंध में भी सेवारत अभ्यर्थियों के लिए एक समान अलग चैनल का इरादा रखता है, तो उस स्थिति को विनियमन 9 में ही स्पष्ट कर दिया गया होगा। इसके अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवारत अभ्यर्थियों के लिए एक अलग चैनल की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, राज्य सरकार के पास कानून न इसके विपरीत प्रावधान करने के लिए दिनांक 28-2-2014 जैसे सरकारी आदेश जारी करने का

कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 से लागू 2000 विनियमों के विनियमन 9 के जनादेश के विपरीत उक्त सरकारी आदेश को रद्द करने में पूरी तरह से उचित था।"

6. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि इस न्यायालय के कम से कम तीन संविधान पीठ के फैसले, अर्थात् आर चित्रलेखा और एक अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य, (1964) 6 एससीआर 368, कुमारी चित्रा घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1969) 2 एससीसी 228 और मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य में (2016) 7 एससीसी 353 में दी गई रिपोर्ट में दी गई मध्य प्रदेश राज्य और अन्य पर दिनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) में सातवीं अनुसूची की सूची I, प्रविष्टि 66 और सूची III, प्रविष्टि 25 के तहत विधायी क्षमता के पहलू पर विचार नहीं किया गया है। सूची I प्रविष्टि 66, निम्नानुसार है: -

"66. उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।"

7. सूची आईआईएल की प्रविष्टि 25 निम्नानुसार है: -

"तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।"

8. मुख्य विवाद राज्यों को दी गई 50% सीटों के संबंध में सेवारत अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण के लिए राज्य द्वारा किए गए दावे से संबंधित है, क्योंकि किसी भी मामले में 50% सीटें अखिल भारतीय श्रेणी के लिए अलग रखी गई हैं।

9. याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि "उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण" संघ के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, जबकि प्रविष्टि 25, सूची III के तहत चिकित्सा शिक्षा, हालांकि सूची 1 की प्रविष्टि 66 के अधीन है, समवर्ती सूची में प्रविष्टि होने के नाते, राज्य को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के तरीके और विधि पर कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया गया है।

10. यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि विनियमन 9 (4) दूरस्थ / कठिन / ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए स्कोर के अधिकतम 30% तक 10% प्रोत्साहन प्रदान करता है, लेकिन यह प्रावधान सेवारत अभ्यर्थियों के लाभ के लिए नहीं होगा। यह बताया गया है कि राज्य कई कारणों से और कई वर्षों से सेवारत अभ्यथयों के लिए राज्य कोटे के 50% के संबंध में आरक्षण के पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस 50% में भी, कठिन, ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके सूची तैयार की जा सकती है। यह भी बताया गया है कि विनियमों में आरक्षण प्रदान करने की राज्य की शक्ति पर भी विचार किया गया है। इसे विनियम 9(8) से देखा जा सकता है जिसमें राज्य में सरकारी सेवा में चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जिन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा की है और ऐसे क्षेत्रों में दो वर्ष की न्यूनतम निरंतर सेवा की एक और शर्त है। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि यदि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में ऐसा आरक्षण हो सकता है, तो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के मामले में इस तरह के आरक्षण से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

11. भारत संघ और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की ओर से यह उल्लेख किया जाता है कि एक बार सूची-I के अधीन प्रविष्टि प्रदान किए जाने के बाद, यह संघ का अनन्य अधिकार क्षेत्र है और भले ही संघ ने उस प्रविष्टि के संबंध में विस्तृत रूप से विधान न बनाया हो, फिर भी राज्य उस विषय पर कानून नहीं बना सकता है। हमारा संदर्भ गुजरात विश्वविद्यालय में इस न्यायालय के निर्णय और एक अन्य बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट (1963) सपल 1 एससीआर 112 में दी गई है। किसी भी मामले में, यह बताया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर दिनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) में विचार किया गया है और इसलिए, रिट याचिकाओं को केवल निरस्त किया जाना है।

12. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थितविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, हमारा विचार है कि दिनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) ने ऊपर उल्लिखित विवादों के संबंध में विधायी प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया है। जाहिर है, ऐसा लगता है कि न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दलील नहीं उठाई गई थी। संविधान पीठ के जिन तीन निर्णयों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनके संबंध में गैर-संदर्भ के संबंध में भी यही स्थिति है। जहां तक मॉडर्न डेंटल (उपरोक्त) का सवाल है, दिनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) मामले में फैसला सुनाए जाने तक शायद यह फैसला प्रकाशित नहीं हुआ था.

13. याचिकाकर्ताओं ने कई अन्य विवाद उठाए हैं और दिनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) के समान संख्या वाली पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों का संदर्भ आमंत्रित किया है।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि इन रिट याचिकाओं पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

15. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंतरिम आदेश के लिए जोरदार जोर दिया है क्योंकि काउंसलिंग या तो शुरू हो गई है या कुछ राज्यों में यह केवल शुरू होने वाली है। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि यह उचित है कि अंतरिम राहत पर भी बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

16. तदनुसार, मामलों को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आकस्मिक रूप से रखें।

17. याचिकाकर्ता सोमवार, 16 अप्रैल, 2018 को माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय